उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

महाप्रबन्धक (औ0स0) e-mail-ashok.agnihotri@yahoocom

शक्ति भवनः 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

सं0 : 1947– औस एवं विनियम /पाकालि/2010–13–विनियम/86 दिनांक : 5.08.2010

कार्यालय–ज्ञाप

पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् की विज्ञप्ति सं0 8082–जी0/राविप–2–169ए/1970 दिनांक 18. 10.75 (समय–समय पर संशोधित) द्वारा अपने कार्मिकों (अधिकारियों/कर्मचारियों) की सेवा–शर्तों के नियमन हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् (अधिकारियों एवं कर्मचारियों) (सेवा की शर्तें), विनियमावली, 1975 का सृजन किया गया। उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् (अधिकारियों एवं कर्मचारियों) (सेवा की शर्तें), विनियमावली, 1975 सम्प्रति उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में भी प्रभावी है।

2. उक्त उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् (अधिकारियों एवं कर्मचारियों) (सेवा की शर्तें), विनियमावली, 1975 के विनियम–06 में पूर्ववर्ती परिषद द्वारा अपने अधिकारियो एवं कर्मचारियो के विरूद्व प्राप्त आरोपो/शिकायतो आदि की जॉच हेतु एक या अधिक, जैसा वे आवश्यक समझे, जॉच समिति(यॉ) गठित किये जाने का प्राविधान है। पूर्ववर्ती परिषद द्वारा उक्त विनियम–06 में प्राप्त अधिकारो के प्रयोग में जॉच समिति–। व जॉच समिति–।। का गठन किया गया है जो वर्तमान में कार्यरत है।

3. उ0प्र0 शासन द्वारा विद्युत सुधार कार्यक्रम के अर्न्तगत उ0प्र0 विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 में प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग कर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (जिसे आगे कारपोरेशन कहा जायेगा) एवं इनकी सहयोगी विद्युत वितरण निगमो (यथा मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी तथा कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0, कानपुर) (जिसे आगे विद्युत वितरण निगम कहा जायेगा)/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 (जिसे आगे ट्रास्को कहा जायेगा) का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त कार्मिको में अनुशासन बनाये रखने के लिये यह आवश्यक समझा जा रहा है कि अधिकारियो एवं कर्मचारियो के विरूद्व प्राप्त आरोपो, शिकायतो अथवा दोषो की जॉच हेतु विद्यमान व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाए।

4. उक्त प्रस्तर–3 में इंगित तथ्यो को दृष्टिगत कर उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् (अधिकारियों एवं कर्मचारियों) (सेवा की शर्तें), विनियमावली, 1975 के वर्तमान विनियम–06 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

अ.

वर्तमान विनियम–06	प्रतिस्थापित विनियम–06
" **Constitution of committee to inquire into Cases :-** 3- The Board may from time to time constitute one or more enquiry committees, as it may consider necessary for inquiry into allegations, complaints or charges against officers and servants.	**प्रकरणो की जॉच हेतु समिति का गठन :–** 1. कारपोरेशन के अध्यक्ष एवं विद्युत वितरण निगमो तथा ट्रास्को के प्रबन्ध निदेशक को यह अधिकार होगा कि वे अपने कार्मिको (अधिकारियो एवं कर्मचारियो) से सम्बन्धित आरोपो/शिकायतो की जॉच हेतु आवश्यकतानुसार एक या अधिक जॉच समिति(यो) का गठन कर सके, 2. कारपोरेशन के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वे कारपोरेशन अथवा विद्युत वितरण निगमो अथवा ट्रास्को के कार्मिको (अधिकारियो एवं कर्मचारियो)

कृ० प० ३०

4- Every Enquiry Committee constituted under clause (1) shall consist of the following :- (i) A Chief Engineer or Additional Chief Engineer, UPSEB (ii) A Law Officer or Additional Law Officer, UPSEB ..... (Member) (iii) An Officer from the Accounts Branch of UPSEB not below the rank of Accounts Officer nominated by the Chairman in that Behalf .... (Member) "	से सम्बन्धित आरोपो/शिकायतो की जॉच कारपोरेशन अथवा उक्त प्रस्तर–1 में इंगित प्रबन्ध निदेशको द्वारा गठित किसी भी जॉच समिति को सन्दर्भित कर सके, 3. उक्त प्रस्तर–1 के अर्न्तगत गठित प्रत्येक जॉच समिति में निम्न होगे :– अ. एक मुख्य अभियन्ता ——— संयोजक ब. लेखा शाखा का एक अधिकारी (जो लेखाधिकारी से कनिष्ठ स्तर का न हो) ——— सदस्य 4. उक्त प्रस्तर–3 में गठित जॉच समिति के संयोजक को यह अधिकार होगा कि वे किसी प्रकरण पर विधि अथवा किसी अन्य विधा के कारपोरेशन/विद्युत वितरण निगम/ट्रास्को में तैनात विशेषज्ञ की सेवाऐं किसी भी रूप में जॉच की किसी भी अवस्था में प्राप्त कर सके, 5. जॉच समिति द्वारा प्राप्त प्रकरणो की जॉच में निम्न प्रकिया का अनुपालन किया जायेगा :– क. जॉच समिति प्रकरण प्राप्त होने के अधिकतम पैतालिस दिन में आरोप–पत्र सम्बन्धित कार्मिक को उपलब्ध करायेगी, ख. जॉच समिति सम्बन्धित कार्मिक से आरोप–पत्र का उत्तर प्राप्त होने के तीस दिन में सुनवाई प्रारम्भ कर देगी जो अधिकतम पैतालिस दिन में पूरी कर ली जायेगी, ग. जॉच समिति द्वारा सुनवाई पूर्ण होने के अधिकतम पैतालिस दिन में जॉच आख्या सम्बन्धित कारपोरेशन के निदेशक (का0प्रब0एवंप्रशा0) अथवा प्रबन्ध निदेशक को उपलब्ध करायेगी, घ. कारपोरेशन के निदेशक (का0प्र0एवंप्रशा0) एवं निगमो/ट्रास्को के प्रबन्ध निदेशक जॉच समिति से आख्या प्राप्त होने के पैतालिस दिन में जॉच आख्या का परीक्षण कर प्रकरण का अन्तिम निस्तारण करेगे, य. जॉच समिति उक्त प्रस्तर क से घ में इंगित समय–सीमा का अनुपालन न कर पाने की स्थिति में कारपोरेशन/सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक को इनके कारणो/परिस्थितियो से अवगत करायेगे एवं इनका उल्लेख जॉच आख्या में करेगे।

ब. उक्त संशोधित प्राविधान तत्काल प्रभाव से लागू होगे। अर्थात, जिन प्रकरणो में सुनवाई आदि की कार्यवाही पूर्व प्राविधानो के अनुसार की गई है, उनमें जॉच आख्या पूर्व प्राविधानो के अनुसार ही कारपोरेशन के निदेशक (का0प्र0एवंप्रशा0) को उपलब्ध कराई जायेगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से
नवनीत सहगल
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

पृ0 सं0 1947 (1)– औस एवं विनियम /पाकालि/2010–13–विनियम/86 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : कृपया निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
(2) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

----- (3)

(3) अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0 ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 /उ0प्र0 राज्य जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
(5) समस्त निदेशक गण, उ0प्र0पा0का0लि0 के निजी सचिव।
(6) प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/ केस्को, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर।
(7) मुख्य अभियन्ता एवं संयोजक, जॉच समिति–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
(8) महाप्रबन्धक (लेखा एंव प्रशा0)/महाप्रबन्धक (औस)/अपर विधि अधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(9) अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अरा0, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(10) कम्पनी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ को उनके पत्रांक 692–पाकालि/बैठक (84)/2010 दिनांक 28.07.2010 की मद सं0 चौरासी (52)/10 के सन्दर्भ में।
(11) अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट) को कारपोरेशन की वेबसाइट पर लोड किये जाने हेतु।

5/8/10
(जावेद अहमद)
अनुसचिव (विनियम)